मदन मोहन अबोट

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 555, 2008)

26 मार्च 2008

[तरुण चटर्जी और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- कार्यवाही को रद्द करना- आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधों का आरोप लगाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट- पक्षों के बीच समझौता- समझौते के आधार पर मांगी गई कार्यवाही को रद्द करना- उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि धारा 406 शमनीय नहीं थी क्योंकि इसमें शामिल राशि 250/- रुपये से अधिक थी- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है क्योंकि विवाद व्यक्तिगत प्रकृति का था और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं थी- विवाद जहां शामिल प्रश्न विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का है, अदालत को आम तौर पर आपराधिक कार्यवाही में भी समझौते की शर्तों को स्वीकार करना चाहिए। रुपये की बाहरी सीमा 250/- कार्यवाहियों को निरस्त करने के मामले में अप्रासंगिक है- दंड संहिता, 1860- धारा 406।

एक प्रथम सूचना रिपोर्ट आईपीसी की धारा 379, 406, 409, 418 और 506/34 के तहत दर्ज की गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। समझौते के आधार पर कार्यवाही निरस्त करने हेतु उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि धारा 406 आई.पी.सी. समझौता योग्य नहीं थी क्योंकि इसमें शामिल राशि 250/- रुपये से अधिक थी।

इसलिए वर्तमान अपील|

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने: -

अभिनिर्धारित:

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य दस्तावेजों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि विवाद विशुद्ध रूप से दो प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच व्यक्तिगत था और यह उनके बीच व्यापक व्यावसायिक लेन-देन से उत्पन्न हुआ था और यह कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति में कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं थी। इसलिए, समझौते के प्रकाश में और इस तथ्य के प्रकाश में कि शिकायतकर्ता का निधन हो गया है और इस प्रकार दोषसिद्धि दर्ज होने की संभावना से इनकार किया जाना चाहिए, कार्यवाही जारी रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

2. यह उपयुक्त होगा कि उन विवादों में जहां प्रश्न विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का है, न्यायालय को आपराधिक कार्यवाहियों में भी समझौते की शर्तों को सामान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि अभियोजन के पक्ष में परिणाम की कोई संभावना के बिना मामले को जीवित रखना एक विलासिता है जिसे न्यायालय, जो कि अत्यधिक बोझ से ग्रस्त हैं, वहन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार बचाए गए समय का उपयोग अधिक प्रभावी और सार्थक मुकदमेबाजी का निर्णय लेने में किया जा सकता है। यह वास्तविकताओं के आधार पर और कानून की तकनीकीताओं से रहित मामले के लिए एक सामान्य ज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण है। न्यायाधीश आपराधिक शमन व कार्यवाहियों को निरस्त करने की प्रक्रिया के मध्य भ्रमित हो गये है। 250/- रुपये की अधिकतम सीमा जिस कारण आवेदन खारिज हुआ, विगत प्रकरण में एक अप्रासंगिक कारक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्य सभी कार्यवाहियां निरस्त समझी जावें। [पैरा 5] [529-एफ-एच; 530-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 555

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के  सी.आर.एल. विविध. न, 40589-एम/2003 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.2.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से विकास मेहता, नलिन तलवार और शशि एम. कपिला.

प्रतिवादी की ओर से कुलदीप सिंह, आर.के. पांडे और टी.पी. मिश्रा.

न्यायालय का फैसला हरजीत सिंह बेदी, जे. द्वारा सुनाया गया।

1 स्वीकृति प्रदान की गई।

2. यह अपील 14 फरवरी, 2006 के उस निर्णय के विरुद्ध निर्देशित की गई है जिसमें शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच हुए समझौते के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 406, 409, 418, 506/34 के अधीन अमृतसर के पुलिस थाना में दर्ज 17 नवंबर, 2001 की एफ. आई. आर. संख्या. 155 को रद्द करने के लिए आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि धारा 406 शमनीय नहीं थी क्योंकि इसमें सम्मिलित राशि Rs. 250/- से अधिक थी और यह कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य के लिए प्रकरण 28 अप्रैल, 2006 को पहले ही नियत किया जा चुका था।

3. इस मामले में 21 अगस्त 2006 को नोटिस जारी किया गया था और इस बीच आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी थी। एकमात्र प्रतिवादी यानी पंजाब राज्य द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि जांच अधिकारी को 'पक्षकारों के बीच समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के लिए नियत था और धारा 406 समझौता योग्य नहीं थी क्योंकि इसमें शामिल राशि 250/- रुपये से अधिक थी।

4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। 25 जनवरी 2002 को पार्टियों के बीच एक समझौता विलेख निष्पादित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार दर्ज किया गया है:

"जबकि पिछले कुछ समय से दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद पैदा हो गया था, जिसके संबंध में पहले पक्ष ने थाना कोतवाली अमृतसर में आईपीसी की धारा 379/406/409/418/34 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2001 दर्ज करवाई थी। उपरोक्त आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है। जिसके चलते दोनों पक्षकारों ने अपने मतभेद हमेशा के लिए सुलझा लिए हैं। जिसके चलते दूसरे पक्ष का पहले पक्ष पर कुछ भी बकाया नहीं है। और प्रथम पक्ष ने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को उचित फोरम से रद्द करने के लिए हर तरह से दूसरे पक्ष के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। इसके अतिरिक्त प्रथम पक्षकार को दूसरे पक्षकार की जमानत स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। बल्कि प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को उसकी जमानत दिलाने में हर तरह से सहयोग करेगा। पक्षकारों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न हुए सभी मतभेद और तनाव दूर हो गए हैं और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सिविल या आपराधिक या ऐसी कोई अन्य कार्यवाही अमृतसर की अदालत या भारत के भीतर या बाहर किसी भी अदालत में दायर नहीं करने का संकल्प लिया है। यह समझौता आज 25 जनवरी 2002 को अमृतसर में सीमांत गवाहों की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच निष्पादित किया गया है।"

5. इस समझौते के आधार पर ही कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया गया था जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य दस्तावेजों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह विवाद पूरी तरह से दो प्रतिस्पर्धियों के बीच का व्यक्तिगत मामला था पक्षकारों और यह उनके बीच व्यापक व्यापारिक लेनदेन से उत्पन्न हुआ

और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति में कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं थी इसलिए, हमारी राय है कि शिकायतकर्ता का 11 जनवरी 2004 को निधन हो जाने से समझौते एवं इस तथ्य के प्रकाश में कार्यवाही जारी रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा और इस प्रकार दोषसिद्धि दर्ज किए जाने की संभावना से इनकार किया जाना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि संभवतः यह सलाह दी जाती है कि उन विवादों में जहां प्रश्न विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का है, न्यायालय को आपराधिक कार्यवाहियों में भी समझौते की शर्तों को सामान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि अभियोजन के पक्ष में परिणाम की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसे प्रकरण को जीवित रखना एक विलासिता है, जिसे न्यायालयों द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है और इस तरह बचाए गए समय का उपयोग अधिक प्रभावी और सार्थक मुकदमेबाजी का निर्णय लेने में किया जा सकता है। यह वास्तविकताओं के आधार पर और कानून की तकनीकियों से रहित मामले के लिए एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण है। हम आक्षेपित आदेश से देखते हैं कि विद्वान न्यायाधीश आपराधिक शमन व कार्यवाहियों को निरस्त करने की प्रक्रिया के मध्य भ्रमित हो गये है। 250/- रुपये की अधिकतम सीमा जिसके कारण आवेदन को खारिज कर दिया गया है, विगत प्रकरण में एक अप्रासंगिक कारक है। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और मामले के विशिष्ट तथ्यों में, निर्देश देते हैं कि FIR No.155 दिनांक 17 नवंबर 2001 P.S. कोतवाली, अमृतसर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द माना जाएगा।

के.के.टी. अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भानू कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।